

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1457]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 10, 2015/आषाढ 19, 1937

No. 1457]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 10, 2015/ASHADHA 19, 1937

वस्त्र मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जुलाई, 2015

का.आ. 1849(अ).—केंद्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948 (1948 का 61) की धारा 4 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अध्यधीन श्रीमती नीलम एस. कुमार, मुख्य लेखा नियंत्रक, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार का नामांकन इस अधिसूचना की तारीख से उनके मुख्य लेखा नियंत्रक, वस्त्र मंत्रालय के रूप में कार्य करते रहने तक अथवा तीन वर्षों तक, जो भी पहले हो, केंद्रीय रेशम बोर्ड के सदस्य के रूप में अधिसूचित करती है।

[फा. सं. 25012/7/2014-रेशम]

सुनयना तोमर, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF TEXTILES

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th July, 2015

S.O. 1849(E).— In exercise of powers conferred by sub-section (3) of Section 4 of the Central Silk Board Act, 1948 (61 of 1948), the Central Government hereby notifies the nomination of Smt. Neelam S. Kumar, Chief Controller of Accounts, Ministry of Textiles, Government of India, to serve as a member of the Central Silk Board for a period till she continues as Chief Controller of Accounts, Ministry of Textiles or three years, whichever is earlier from the date of this Notification subject to the provisions of the said Act.

[F. No. 25012/7/2014-Silk]
SUNAINA TOMAR, Jt. Secy.